उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

अभिलेख सं0–...05.../2023

Sl. No.	Date of order	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23·08·23	Jharkhand State Food Commission, Ranchi Portal अन्तर्गत श्रीमती निरोती कुमारी, साकिम–कारीटाँड, पोस्ट–पुर्णाडीह, थाना–टुण्डी, धनबाद के द्वारा शिकायत की गई है कि पदाधिकारियों एवं चयन समिति द्वारा आँगनबाड़ी सेविका के चयन में घोर अनियमितता बरती गई है तथा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–115 कारीटाँड में नियम विरूद्ध तरीके से सेविका का चयन करने के संबंध में शिकायत की जाँच हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा अंचल अधिकारी, टुण्डी को इस कार्यालय के पत्रांक–1682/रा0, दिनांक–17.05.2023 के द्वारा नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक–1835/रा0, दिनांक–23.05.2023 के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, टुण्डी एवं श्रीमति निरोति कुमारी को दिनांक–25.05.2023 को अप0 03:30 बजे उपस्थित होकर सभी संबंधित कागजात के साथ अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, टुण्डी द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र कारीटाँड (पंचायत–पूर्णाडीह) में सेविका चयन हेतु आमसभा की निर्धारित तिथि 22.03.22 को आंगनबाड़ी केन्द्र स्थल पर की गई। जिसमें चयन समिति के सदस्य तथा तत्कालीन मुखिया श्रीमति माया देवी उपस्थित थी तथा श्रीमति निरोति कुमारी पति मेसलाल बास्की के द्वारा प्रचार–प्रसार के प्रपत्र में हस्ताक्षर किया गया है। (क्रमांक सं0–20 पर अंकित है।) आम सभा में कुल 05 आवेदिकाएँ उपस्थित थी। जिसमे से श्रीमति लक्ष्मी कुमारी पति विष्णुकांत वास्की का चयन किया गया है। जिसकी पूर्ण विवरणी आम सभा पंजी एवं अन्यान्य प्रपत्र में भी अंकित है। श्रीमति निरोति कुमारी पति मेसलाल बास्की, ग्राम कारीटांड के द्वारा वताया गया कि बिना किसी आम सूचना के दिनांक–22/03/2022 को चुनाव के पूर्व आम सूचना चिपकाकर आनन–फानन में सेविका का चयन कर ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि मैं सेविका पद के लिए पूरी आहर्त्ता रखती हूँ परंतु यह कहते हुए मेरा आवेदन लेने से इंकार कर दिया गया कि मैं इस पद के लिए योग्य नही हूँ क्योंकि मैं पेपर नहीं पढ़ती हूँ।	

Sl. No.	Date of order	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
		इसी क्रम में अंचल अधिकारी, टुण्डी ने पत्रांक–289, दिनांक–02.06.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि नवीन कुमार सिन्हा, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विधालय, कारीटांड द्वारा उक्त तिथि को लगभग 1:45 बजे अप0 को आमसभा होने की सूचना मोबाईल फोन के द्वारा दी गई है। शिकायतकर्त्ता द्वारा बताया गया कि मोबाईल फोन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वह आमसभा स्थान पर लगभग 1:45 बजे अप0 को शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने उपस्थित हुई, परंतु CDPO टुण्डी का कहना है कि शिकायतकर्त्ता द्वारा उक्त तिथि/स्थान को कोई कागजात नहीं जमा किया गया। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि आम इस्तेहार में कमांक–20 पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नही किया गया, परंतु उनके हस्ताक्षर नमुना एवं उनके लिखावट के मिलान करने पर प्रथम अध्ययन ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कमांक में श्रीमति निरोति कुमारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। आम सभा स्थल/आंगनबाड़ी केन्द्र, कारीटांड से शिकायतकर्त्ता के घर की दूरी लगभग 100 फीट है। उनका कथन है कि उक्त चयन तिथि को वह अपने घर पर ही उपस्थित थी। साथ ही CDPO टुण्डी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि PR 265180 Social Welfare woman and child development 21-22 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका चयन हेतु आमसभा की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी उक्त तथ्यों के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु श्रीमति लक्ष्मी कुमारी पति श्री विशनुकांत वास्की, साकिम–कारीटांड अंचल–टुण्डी का सेविका के रूप में किया गया चयन उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता–सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद। अपर समाहर्त्ता–सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद।	